राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1368/2011/चित्तौड़गढ़

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–चतुर्थ, मुख्यालय निम्बाहेड़ा,
चित्तौड़गढ़। .....अपीलार्थी.

बनाम

रमेश कुमार स्वर्णकार,
चित्तौड़गढ़। ....प्रत्यर्थी

2. अपील संख्या – 1369/2011/चित्तौड़गढ़

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–चतुर्थ, मुख्यालय निम्बाहेड़ा,
चित्तौड़गढ़। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स फिदा हुसैन शेख,
मंडफिया, चित्तौड़गढ़। ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.के.गंगवानी,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/01/2014

निर्णय

1. ये अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या 73/74/वैट/10–11 आदेश दिनांक 08.03.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत्त निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ ने अपीलकर्ताओं का कर निर्धारण करते हुए निम्नप्रकार मांग सृजित की गयी :–

अपील सं.	क0नि0वर्ष	आदेश दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति	योग
73/वैट/10–11	07–08	25.02.2010	68850	9979	500	79329
74/वैट/10–11	07–08	25.02.2010	91793	4070	500	96363

दोनों व्यवहारी ठेकेदार है तथा कार्य सम्पादन के दौरान उनके द्वारा कुछ अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद घोषित की गयी थी, जो 25 प्रतिशत थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जी–अनुसूची का अध्ययन कर अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद को कम पाया तथा सूचना पत्र जारी कर अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद 40 प्रतिशत मानकर कर निर्धारण आदेश पारित किये गये। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारियों द्वारा अपीलीय

लगातार.....2

अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.03.2011 द्वारा अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीदी जो वृद्धि 15 प्रतिशत को की गयी थी। उसे घटाकर आधी स्वीकार तथा आधी वृद्धि को अस्वीकार कर प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील को आंशिक स्वीकार किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा ये अपीलें पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जी–सूची का अध्ययन कर तथ्यों के आधार पर 25 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद मानकर कर निर्धारण किया गया था जिसका कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया था। ऐसे में अपीलीय अधिकारी द्वारा इस वृद्धि को घटाकर आधी स्वीकार की तथा आधी अस्वीकार करने में भूल की है। अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल करते हुये अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जावें।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित बताया। उनके अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्णतया Wild estimate के आधार पर अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद को बढ़ाया गया है। उसमें कोई गणना चार्ट भी नहीं दिया गया है। ऐसे में अपीलीय अधिकारी का निर्णय पूर्णतया उचित है। अतः विभाग की अपील को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा स्वयं द्वारा 25 प्रतिशत अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद घोषित की गयी थी। जिसको कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा 15 प्रतिशत वृद्धि में से आधी वृद्धि को उचित माना है। विभाग द्वारा अपने अपील आधारों में ऐसा कोई गणना चार्ट पेश नहीं किया है जिसके कारण अपीलीय अधिकारी के निर्णय को गलत सिद्ध किया जा सकें। ऐसे गणना चार्ट के अभाव में अपीलीय अधिकारी का निर्णय उचित प्रतीत होता है। अतः उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है। परिणामस्वरूप विभाग की अपील को अस्वीकार किया जाता है।

7. फलतः विभाग की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

9-1-24

(अमर सिंह)
सदस्य